इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर

(आईएसओ 21001:2018 द्वारा प्रमाणित)

IIBF VISION

खंड संख्या 17 | अंक संख्या 12 | जुलाई, 2025 | पृष्ठों की संख्या - 09

विजन

बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन

प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ.....2
बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ.....3
बैंकिंग जगत के समाचार.....4
पूंजी बाजार.....4
विनियामक के कथन.....5
आर्थिक संवेष्टन.....5
नयी नियुक्ति.....5
विदेशी मुद्रा.....6
शब्दावली.....7
वित्तीय ज्ञान.....7
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां.....7
संस्थान समाचार.....8
बाजार की खबरें.....8
नयी पहलकदमी.....9

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना/समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों, मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/किए जा रही/रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित /उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएँ

मौद्रिक नीति समिति की 4-6 जून 2025 को हुई बैठक की मुख्य बातें:

भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक 4-6 जून 2025 को संपन्न हुई। बैठक की मुख्य बातें निम्नवत हैं:

- रेपों दर 50 बीपीएस घटाकर 5.5% कर दी गई है।
- स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर घटा कर 5.25% कर दी गई है।
- सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) तथा बैंक दर को कम कर 5.75% किया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नकद आरक्षित अनुपात में बदलाव

भारतीय रिज़र्व बैंक ने नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में 25-25 आधार अंक की चार समान किस्तों में 100 आधार अंकों की कटौती कर इसे निवल मांग व मियादी देयताओं (एनडीटीएल) का 3.0% कर दिया है। तदनुसार; 6 सितंबर, 4 अक्तूबर, 1 नवंबर और 29 नवंबर 2025 से शुरू होने वाले रिपोर्टिंग पखवारे से बैंकों को अपनी निवल व मांग देयताओं का क्रमश: 3.75%, 3.5%, 3.25% व 3.0% नकद आरक्षित अनुपात बनाए रखना है।

अपरिचालित खातों तथा अदावी जमाराशियों संबंधी दिशानिर्देशों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अद्यतन किया गया है

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपरिचालित खातों तथा अदावी जमाराशियों के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं ताकि बैंक ग्राहकों को उनके लंबे समय से निष्क्रिय पड़े खातों को सक्रिय करने तथा अदावी जमाराशियों को लेने में आसानी हो। तदनुसार, बैंकों को अपरिचालित खातों तथा अदावी जमाराशियों हेतु गैर-होम शाखाओं सहित सभी शाखाओं में केवाईसी दस्तावेजों को अद्यतन करने की सुविधा प्रदान करनी है। बैंकों द्वारा ऐसी सुविधा वीडियो-ग्राहक पहचान प्रक्रिया (V-CIP) के जरिए भी दी जाएगी। बैंकों के अधिकृत व्यवसाय प्रतिनिधि जो प्राय: अलग-थलग अथवा अल्पसेवित इलाकों में कार्य करते हैं, को अनुमति है कि वे ग्राहकों की केवाईसी अद्यतन करने तथा उनके अपरिचालित खातों को पुन: सक्रिय करने में मदद करें।

लघु वित्त बैंकों हेतु प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को कर्ज देने की अपेक्षाओं में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कमी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को कर्ज देने का समग्र लक्ष्य समायोजित निवल बैंक ऋण (ANBC) के 75% से घटाकर 60% अथवा तुलनपत्रेतर एक्सपोजर का ऋण समतुल्य (CEOBE), इनमें से जो अधिक हो, कर दिया है। इस बदलाव के अनुसार, वित्तवर्ष 2025-26 से, लघु वित्त बैंक अपने समायोजित निवल बैंक ऋण का 40% अथवा तुलनपत्रेतर एक्सपोजर का ऋण समतुल्य, इनमें से जो अधिक हो; मौजूदा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र निर्धारणों के अनुसार, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत विभिन्न उप-क्षेत्रों को आवंटित करते रहेंगे। शेष 20% का आवंटन प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अधीन उन एक या अधिक क्षेत्रों जिनमें बैंक प्रतिस्पर्धा में लाभ की स्थिति में है, को किया जाएगा।

आईएफएससीए द्वारा उच्चतर कार्बन उत्सर्जनकर्ता कंपनियों हेतु ईएसजी संबद्ध ट्रांजिशन बॉन्ड के लिए ढांचे की घोषणा

इंटरनेशनल फायनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी (IFSCA) ने उन कंपनियों जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने में कठिनाई का सामना करती हैं, को गिफ्ट सिटी में निधियाँ जुटाने में मदद करने हेतु पर्यावरण, सामाजिक व अभिशासन (ESG) संबद्ध बॉन्ड जारी तथा सूचीबद्ध करने के लिए ढांचा जारी किया है। कार्बन उत्सर्जन का प्रकोप कम करने में कठिनाई वाले क्षेत्रों जैसे कि इस्पात, सीमेंट तथा उड्डयन के क्षेत्रों जो ज़्यादातर जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल करते हैं तथा ऐसी प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं जिनमें अकार्बनीकरण मुश्किल होता है, को इससे विशेष लाभ होगा। ये ट्रांजिशन बॉन्ड निर्गमकर्ताओं को पूंजी जुटाने तथा अपनी प्रतिभूतियों को जीआईएफटी आईएफएससी पर सूचीबद्ध करने में सहायक होंगे। इस ढांचे के चार महत्त्वपूर्ण स्तम्भ हैं: संस्था स्तरीय विश्वसनीय ट्रांजिशन योजना, वैश्विक मान्यता प्राप्त वर्गीकरण तथा प्रौद्योगिकी रोड मैप के साथ तालमेल, स्वतंत्र बाह्य समीक्षा हेतु तंत्र एवं प्रकटन अपेक्षाएँ।

बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को ऋण सुविधाओं पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मास्टर परिपत्र जारी

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने मास्टर परिपत्र जारी किया है। इसका उद्देश्य इन वर्गों के लिए वित्तीय सेवाओं तथा ऋण तक पहुँच को बढ़ाना है। ऋण आयोजना का रुख उनके पक्ष में होना चाहिए तथा उनके लिए माकूल विशेष भरोसेमंद योजनाएँ बनाई जानी चाहिए ताकि उनकी सहभागिता तथा स्व-नियोजन हेतु उन्हें ऋणों की अधिक उपलब्धता सुनिश्चित हो। बैंक यह देखने के लिए कि ऋणों की मंजूरी समय पर की जाती है, दिए जाने वाले ऋण पर्याप्त तथा उत्पादनोन्मुख हैं तथा ऋणी, बढ़ी आय से ऋणों को चुका सकते हैं; ऋण देने की अपनी प्रक्रियाओं तथा नीतियों की समय-समय पर समीक्षा करें। बैंकों द्वारा निर्मित विभिन्न योजनाओं के प्रति उनमें विभिन्न माध्यमों से जागरूकता उत्पन्न की जानी चाहिए। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लाभार्थियों को ऋण के प्रवाह पर निगरानी हेतु बैंकों के प्रधान कार्यालय में विशेष कक्ष स्थापित किए जाएँ।

आधार समर्थित भुगतान प्रणाली संपर्क स्थल परिचालनों हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अंतिम दिशानिर्देश जारी

आधार समर्थित भुगतान प्रणाली (AePS) संपर्क स्थलों का प्रबंधन करने वाले परिचालकों की ऑनबोर्डिंग सुगम करने तथा धोखाधड़ी प्रबंधन प्रणालियों को सुदृढ़ करने हेतु, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अंतिम समुचित सावधानी दिशानिर्देश जारी किए हैं जो 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी धारणकर्ता बैंक समस्त आधार समर्थित भुगतान प्रणाली संपर्क स्थलों के परिचालकों के लिए बोर्डिंग पूर्व समुचित सावधानी प्रक्रिया भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार संचालित करेंगे। यदि आधार समर्थित भुगतान प्रणाली संपर्क स्थलों के परिचालकों हेतु समुचित सावधानी प्रक्रिया व्यवसाय प्रतिनिधि अथवा उप-अभिकर्ता की उनकी क्षमता में पहले ही की जा चुकी है तो इसे अंगीकार किया जा सकता है। धारणकर्ता बैंक भुगतान प्रणाली संपर्क स्थलों के परिचालकों के कार्यकलापों पर अपनी संव्यवहार निगरानी प्रणाली के जरिए निगरानी रखा करेंगे। वे जोखिम प्रोफाइल के आधार पर परिचालन के मानक भी निर्धारित करेंगे।

परिचालन शुरू करने या जारी रखने वाले इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (ETP) हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निदेश जारी

इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जिन पर पात्र लिखतों में लेनदेन का सौदा होता है, का परिचालन करने वाली संस्थाओं के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक (इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म) निदेश, 2026 जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म परिचालन शुरू करने या जारी रखने हेतु इलेक्ट्रानिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म परिचालक के रूप में अधिकार चाहने वाली संस्थाओं को पात्रता मानदंडों के अनुरूप अनिवार्यत: आवेदन करना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म परिचालक को अपने परिचालनों के सभी पहलुओं हेतु व्यापक जोखिम प्रबंधन ढांचा (मजबूत आंतरिक नियंत्रण ढांचे सहित) अवश्य स्थापित करना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म परिचालक के पास इसके कारोबार की प्रकृति, पैमाने तथा जटिलता के अनुरूप उपयुक्त कारोबार निरंतरता योजना होनी चाहिए जिसमें आकस्मिकता हेतु तथा आपदा में बहाली की व्यवस्था हो।

सरकारी व्यवसाय करने वाले बैंकों हेतु एजेंसी कमीशन दरों में बढ़ोत्तरी

सरकार से संबंधित संव्यहार करने में एजेंसी बैंकों की दक्षता बढ़ाने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने सरकारी व्यवसाय करने वाले बैंकों के लिए कमीशन बढ़ा दिया है। केंद्र/राज्य सरकारों की ओर से राजस्व प्राप्तियां तथा भुगतान संव्यवहार इलेक्ट्रॉनिक मोड में करने वाले बैंकों के लिए एजेंसी कमीशन प्रति संव्यवहार 9 रुपए से बढ़ाकर 12 रुपए कर दिया गया है। पेंशन भुगतानों हेतु कमीशन दर बढ़ा कर 80 रुपए कर दी गई है। साथ ही, एजेंसी बैंकों के माध्यम से किए जा रहे सभी भुगतान संव्यवहारों जिनमें पहले से निधिकृत संव्यवहार तथा एजेंसी बैंक को सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति के भुगतान के मामले शामिल नहीं हैं, पर एजेंसी कमीशन का भुगतान किया जाएगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक का दिशानिर्देश: सोने और चांदी की संपार्श्विक प्रतिभूति पर कर्ज समुचित प्रलेखन व मूल्यांकन के बाद ही दिया जाएगा

सोने और चांदी की संपार्श्विक प्रतिभूति पर कर्ज देने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, कर्जदाता प्राथमिक सोने या चांदी या प्राथमिक सोने या चांदी की जमानत आधारित एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और म्यूचुअल फंड के समक्ष कोई ऋण/अग्रिम

नहीं प्रदान करेंगे। जहां संपार्श्विक प्रतिभूति के स्वामित्व को लेकर संदेह हो, ऋण बिलकुल नहीं दिया जाना चाहिए। सभी कर्जदारों से इस बात की पुष्टि हेतु कि वे पात्र प्रतिभूति का मालिकाना हक रखते हैं, समुचित दस्तावेज़ या घोषणापत्र लिया जाना चाहिए। कर्जदाता की सभी शाखाओं को मानकीकृत प्रलेखन फॉर्मेट का उपयोग करना चाहिए। कर्जदाता, उनके पास कर्जदारों द्वारा गिरवी रखे गए सोने या चांदी को कहीं और गिरवी नहीं रखेंगे। जहां तक मूल्यांकन की बात है, संपार्श्विक के रूप में स्वीकृत सोने या चांदी का मूल्यांकन इसकी वास्तविक शुद्धता के अनुरूप संदर्भ मूल्य के अनुसार किया जाएगा।

बैंकिंग जगत के समाचार

बार-बार अनुस्मारकों तथा जागरूकता अभियानों के जरिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने केवाईसी अद्यतन करना आसान कर दिया है

उपभोक्ता सुरक्षा मजबूत करने तथा सेवा देने में सुधार लाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने निदेश जारी कर सभी बैंकों तथा विनियमित संस्थाओं को अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) प्रक्रिया को आवधिक रूप से अद्यतन करने हेतु ग्राहकों को समय पर तथा बार-बार अधिसूचना भेजने के लिए कहा है। इन सभी संदेशों में आसान अनुदेश हों, यह एस्केलेशन तंत्र के साथ हो तथा इसमें अनुपालन न करने के परिणामों का स्पष्ट उल्लेख हो। लेखापरीक्षा की निशानदेही हेतु बैंकों को अपनी प्रणाली में अधिसूचना भेजने के सभी प्रयास अवश्य दर्ज करने चाहिए। चूंकि केवाईसी लंबित रहने के मामले प्राय: ग्रामीण तथा अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में अधिक होते हैं, बैंकों को इन क्षेत्रों में केवाईसी अद्यतन करने तथा जागरूकता अभियान अवश्य आयोजित करने चाहिए। व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) भी केवाईसी अद्यतन करने की प्रक्रिया में सहयोग कर सकते हैं। केवाईसी काफी समय से लंबित रहने वाले अल्प जोखिम व्यक्तिगत ग्राहकों के मामलों में, बैंक संव्यवहार करने देते रहेंगे, बशर्ते कि अद्यतन करने का कार्य 30 जून, 2026 या केवाईसी का समय आने के एक वर्ष, इनमें से जो बाद में हो, के भीतर पूरा कर लिया जाए।

रियल एस्टेट को ऋणों हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा परियोजना वित्त निदेश जारी

विनियमित संस्थाओं को परियोजना ऋण के वित्तपोषण का ढांचा उपलब्ध कराने हेतु, भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक (परियोजना वित्त) निदेश 2025 जारी किया है। तदनुसार, विनियमित संस्थाओं द्वारा निर्माणाधीन वाणिज्यिक रियल एस्टेट हेतु 1.25% तथा निर्माणाधीन अवसंरचना परियोजनाओं के लिए 1% का सामान्य प्रावधान करना होगा । परिचालन चरण में मानक आस्ति प्रावधान आवश्यकता घटाकर क्रमश: वाणिज्यिक रियल एस्टेट हेतु 1%, वाणिज्यिक रियल एस्टेट (रिहायशी आवास) हेतु 0.75% तथा अन्य एक्सपोजर हेतु 0.40% होगी। 1 अक्तूबर 2025 से, सभी विनियमित संस्थाओं हेतु परियोजना वित्त एक्सपोजर में तनाव के समाधान हेतु ये निदेश सिद्धांत आधारित व्यवस्था को अपनाएँगे।

पूंजी बाजार

ईएसजी कर्ज बाज़ार में पारदर्शिता बढ़ाने हेतु सेबी द्वारा नया ढांचा जारी

उत्तरदायित्वपूर्ण वित्तपोषण को प्रोत्साहित करने तथा 'परपज-वाशिंग' को रोकने के लिए, सेबी ने ईएसजी (पर्यावरणीय, सामाजिक एवं अभिशासन) कर्ज प्रतिभूति के निर्गम व सूचीबद्धता हेतु विस्तृत ढांचा जारी किया है। ग्रीन बॉन्ड को इससे अलग रखा गया है। कर्ज प्रतिभूतियों को 'सोशल बॉन्ड', 'सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड' अथवा 'सस्टेनेबिलिटी संबद्ध बॉन्ड' का नाम तभी दिया जाएगा जब ऐसी कर्ज प्रतिभूतियों के निर्गम के जरिए जुटाई गई निधियों को भारत में किसी वित्तीय क्षेत्र विनियामक द्वारा निर्दिष्ट किसी मान्यता प्राप्त मानक, या ढांचे या प्रक्रिया से संबद्ध परियोजनाओं और/या आस्तियों के वित्तपोषण अथवा पुनर्वित्तपोषण हेतु उपयोग किए जाने का प्रस्ताव हो। सामाजिक उद्देश्यों/संधारणीयता उद्देश्यों हेतु निधियाँ जुटाते समय, यह जांच करने के लिए कि किए जा रहे परिचालन का स्वरूप प्रतिकूल सामाजिक प्रभाव/संधारणीयता प्रभाव को कम कर रहा है या नहीं, इसके द्वारा लगातार निगरानी रखी जाएगी। यह प्रस्ताव दस्तावेज़ में वर्णित किए गए अनुसार होगा। यह भ्रामक लेबल का उपयोग नहीं करेगा, ट्रेड-ऑफ को नहीं छुपाएगा या सामाजिक प्रथाओं/संधारणीय प्रथाओं को प्रमुखता से दिखाने और इस मामले में प्रतिकूल अन्य प्रथाओं को छिपाने हेतु शोध से केवल समर्थक आंकड़ों का चुनाव नहीं करेगा।

सेबी पंजीकृत मध्यस्थ निवेशकों से भुगतान केवल विशिष्ट यूपीआई आईडी के जरिए प्राप्त कर सकेंगे

1 अक्तूबर 2025 से, पंजीकृत मध्यस्थों द्वारा निवेशकों से भुगतान संग्रह हेतु मानकीकृत, मान्यता प्राप्त तथा विशिष्ट यूनिफ़ाइड भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) आईडी लागू हो जाएगी। सभी सेबी पंजीकृत मध्यस्थ @valid सफिक्स के साथ विशिष्ट यूपीआई आईडी प्राप्त करेंगे

ताकि निवेशकों के लिए वैध संस्थाओं को पहचानना व कपटी संस्थाओं को दूर रखना आसान हो। निवेशक 'सेबी चेक' अप्लिकेशन का उपयोग कर यूपीआई आईडी की प्रामाणिकता की जांच कर सकते हैं। यह सुनिश्चित कर कि भुगतान केवल वैध एवं पंजीकृत संस्थाओं को किए जाएँ, सेबी ने यह पहल धोखाधड़ियाँ रोकने तथा निवेशकों की सुरक्षा के लिए शुरू की है।

विनियामक के कथन

किसी भी रिश्ते की बुनियाद भरोसे पर टिकी होती है: श्री संजय मल्होत्रा, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) कानपुर के दीक्षांत समारोह में बोलते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा ने ज़ोर देकर कहा कि किसी भी रिश्ते, चाहे यह शादी या मित्रता का या कार्यस्थल पर सीईओ एवं कर्मचारियों या एक कंपनी व इसके उपभोक्ताओं के बीच का रिश्ता हो, की बुनियाद भरोसे पर टिकी होती है। ईमानदारी तथा नैतिकता भरोसा पैदा करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। भरोसा बनाने में वक्त लगता है लेकिन इसे गँवाने में देर नहीं लगती। भरोसा हासिल करने के लिए, लीडर के पास कठिन निर्णय लेने का साहस होना जरूरी है। लीडर को कर्मचारियों तथा अन्य हितधारकों के हित में ही कार्य करना चाहिए, उसे जिम्मेदारियाँ स्वीकार करने हेतु जरूर तैयार रहना चाहिए तथा न्यायपूर्ण, पारदर्शी एवं सम्मानयुक्त होना चाहिए। गवर्नर महोदय ने आगे कहा कि सुधार जो कार्यकुशलता को बेहतर कर सकता है, की गुंजाइश हमेशा रहती है। इसलिए यथास्थिति पर सवाल उठाने से हमें कभी बचना नहीं चाहिए तथा हमेशा सीखते रहना चाहिए।

आर्थिक संवेष्टन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, जून 2025 जारी की है। इसकी मुख्य बातें निम्न हैं:

- घरेलू मुद्रास्फीति में लगातार गिरावट हो रही है और हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति मई 2025 में छः माह के न्यूनतम 2.8% पर है।
- यथा 13 जून 2025, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की वर्षानुवर्ष जमाराशि वृद्धि 10.5% रही।
- यथा मार्च 2025, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का पूंजी से जोखिम भारित आस्तियों का अनुपात (CRAR) बढ़कर 17.3% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया।
- 2024-25 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, की लाभप्रदता मजबूत रही और करोपरांत लाभ 16.9% (वर्षानुवर्ष) बढ़ गया।
- शहरी सहकारी बैंकों की पूंजी की स्थिति सुदृढ़ हुई।
- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBFCs) पर्याप्त पूंजी बफर, मजबूत आय तथा सुधरती आस्ति गुणवत्ता के साथ स्वस्थ स्थिति में बनी हुई हैं।
- अप्रैल 2025 से वित्तीय दशा सुधरी है जैसा वित्तीय दशा सूचकांक से प्रकट होता है।
- अप्रतिभूत खुदरा कर्ज खुदरा ऋणों का 25% तथा सकल अग्रिमों का 8.3% हैं।
- मार्च 2025 की समाप्ति पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम पोर्टफोलियो का सकल अनर्जक आस्ति (NPA) अनुपात मार्च 2024 के 4.5% से घट कर 3.6% हो गया जो आस्ति गुणवत्ता में सुधार दर्शाता है।
- एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स सूचकांक में भारत की भागीदारी मार्च 2025 की समाप्ति की स्थिति अनुसार 18.5% पर स्थिर बनी हुई है।

नयी नियुक्ति

नाम	पदनाम
श्री सिवसुब्रमण्यम रमण	अध्यक्ष, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए)

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा भंडार			विगत 6 माह में विदेशी मुद्रा भंडार (मिलियन अमरीकी डॉलर) में प्रवृत्तियाँ
मद	यथा 27 जून 2025		
	करोड़ (₹)	मिलियन अमरीकी डॉलर	
	1	2	
1 कुल भंडार	6007745	702784	
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	5084809	594823	
1.2 स्वर्ण	722374	84504	
1.3 एसडीआर	160963	18830	
1.4 आईएमएफ में रिज़र्व पोजीशन	39598	4628	

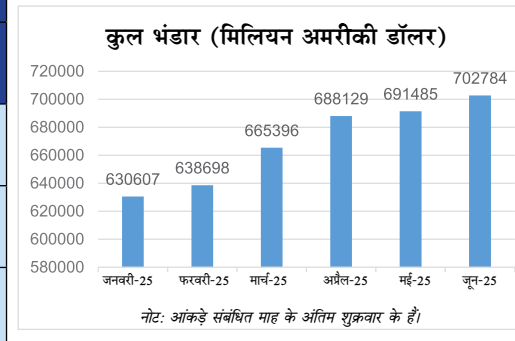

नोट: आंकड़े संबंधित माह के अंतिम शुक्रवार के हैं।

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

30 जून 2025 की स्थिति अनुसार एफसीएनआर (बी) जमाराशियों हेतु वैकल्पिक संदर्भ दरों (ARR) की आधार दरें, जुलाई 2025 माह हेतु लागू

एआरआर	दर
SOFR (अमरीकी डॉलर)	4.40
SONIA (जीबीपी)	4.217
STR (यूरो)	1.929
TONA (जापानी येन)	0.478
CORRA (कनाडाई डॉलर)	2.7500
AONIA (आस्ट्रेलियाई डॉलर)	3.85
SARON (स्विस फ्रैंक)	-0.040076

एआरआर	दर
OCR (न्यूज़ीलैंड डॉलर)	3.25
SWESTR (स्वीडिस क्रोन)	1.888
SORA (सिंगापुर डॉलर)	1.7466
HONIA (हांगकांग डॉलर)	0.03164
MYOR (म्यांमार रुपया)	3.00
DESTR (डैनिश क्रोन)	1.5540

स्रोत: www.fbil.org.in

शब्दावली

प्राथमिक स्वर्ण (Primary Gold)

प्राथमिक स्वर्ण का संदर्भ जुलरी, आभूषण या सिक्कों से भिन्न किसी रूप में स्वर्ण व चांदी से है।

वित्तीय ज्ञान

प्लौबैक अनुपात (Plowback Ratio)

प्लौबैक अनुपात, जिसे रिटेंशन अनुपात भी कहा जाता है, एक व्यवसाय में लाभांश अदा करने के बाद बची आय के माप करने का अनुपात है। यह एक कंपनी द्वारा, अदा किए गए भुगतान को हिसाब में लेकर, इसके द्वारा बचाए गए लाभ को दर्शाता है। उच्च प्लौबैक अनुपात से पता चलता है कि कंपनी ने अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा पुनर्निवेश के लिए बचा रखा है। यह स्थिति प्राय: विकासोन्मुख कंपनियों में देखी जाती है जिनका ध्यान विस्तार, अनुसंधान व विकास पर या कर्ज कम करने पर होता है।
प्लौबैक अनुपात = (निवल आय-लाभांश)/निवल आय

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

जुलाई 2025 माह में प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	तिथि	स्थान
इथिक्स तथा कॉर्पोरेट अभिशासन पर कार्यक्रम	10-11 जुलाई, 2025	प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेंटर, आईआईबीएफ, नयी दिल्ली
नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा के वित्तपोषण पर कार्यक्रम	14-16 जुलाई, 2025	लीडरशिप सेंटर, आईआईबीएफ, मुंबई
कारगर शाखा प्रबंधन पर कार्यक्रम	15-16 जुलाई, 2025	वर्चुअल
बैंकों/वित्तीय संस्थानों मे डिजिटल बदलाव और उभरती प्रौद्योगिकियों पर कार्यक्रम	15-17 जुलाई, 2025	प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेंटर, आईआईबीएफ, नयी दिल्ली
बैंकों/वित्तीय संस्थानों हेतु उन्नत ऋण प्रबंधन पर कार्यक्रम	17-19 जुलाई, 2025	प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेंटर, आईआईबीएफ, चेन्नई
वित्तीय विवरणियों तथा अनुपातों के मूल्यांकन पर कार्यक्रम	17-19 जुलाई, 2025	वर्चुअल
कार्यपालक विकास कार्यक्रम	22-24 जुलाई, 2025	प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेंटर, आईआईबीएफ, नयी दिल्ली
बैंकों के आंतरिक लेखापरीक्षकों हेतु कार्यक्रम	24-25 जुलाई, 2025	वर्चुअल
बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों मे ग्राहक सेवा और शिकायत समाधान पर कार्यक्रम	24-25 जुलाई, 2025	वर्चुअल

संस्थान समाचार

"भारत में डिजिटल भुगतान: भारतीय रिज़र्व बैंक की भुगतान प्रणाली का एनईएफटी तथा आरटीजीएस से यूपीआई और सीबीडीसी में विकास" पर आईआईबीएफ का वेबिनार

आईआईबीएफ ने 5 जुलाई, 2025 को "भारत में डिजिटल भुगतान: भारतीय रिज़र्व बैंक की भुगतान प्रणाली का एनईएफटी तथा आरटीजीएस से यूपीआई और सीबीडीसी में विकास", विषय पर वेबिनार का आयोजन किया। इसमें मुख्य वक्ता भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण (प्रा) लिमिटेड (भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी) के पूर्व प्रबंध निदेशक तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व प्रिंसिपल मुख्य महाप्रबंधक श्री सुधाकर काज़ा थे।

आईआईबीएफ द्वारा गुवाहाटी में प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेंटर का उद्घाटन

आईआईबीएफ ने गुवाहाटी में एक नया प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेंटर (PDC) स्थापित किया है। इस प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेंटर का उदघाटन संस्थान के अध्यक्ष श्री एम. वी. राव द्वारा 6 जून, 2025 को किया गया। श्री बिनय कुमार सिंह ने प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेंटर, गुवाहाटी के प्रमुख के रूप में संस्थान में सेवाग्रहण किया है। अधिक जानकारी के लिए कृपया head-pdcgau@iibf.org.in पर संपर्क करें।

बैंक क्वेस्ट के आगामी अंक हेतु विषय

जुलाई-सितंबर 2025 तिमाही के लिए बैंक क्वेस्ट के आगामी अंक का विषय "स्ट्रैटेजिक एचआरएम इनिशिएटिव्स फॉर बैंक्स" रखा गया है। उप विषय हैं: प्रतिभा प्रबंधन, उत्तराधिकार आयोजना, कर्मचारी जुड़ाव हेतु रणनीतियाँ, डाइवर्सिटी व इनक्लुजन का प्रबंधन, एचआर लेखापरीक्षा।

परीक्षाओं हेतु दिशानिर्देशों/महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए कट-ऑफ तिथि

संस्थान ने प्रत्येक परीक्षा में हाल की घटनाओं/विनियामक(कों) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के विषय में प्रश्न पूछने की प्रथा बना रखी है ताकि यह पता चल सके कि क्या अभ्यर्थी नए बदलावों की जानकारी रखते हैं। तथापि, प्रश्नपत्र तैयार करने की तिथि एवं परीक्षा की वास्तविक तिथि के बीच घटनाओं/दिशानिर्देशों में परिवर्तन हो सकता है। इन मुद्दों के कारगर समाधान के लिए निर्णय लिया गया है कि: (i) संस्थान द्वारा एक कलेंडर वर्ष में मार्च से अगस्त माह की अवधि में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं हेतु, प्रश्नपत्र में, केवल 31 दिसंबर तक विनियामक(कों) द्वारा जारी दिशानिर्देशों एवं बैंकिंग व वित्त जगत में महत्वपूर्ण घटनाओं को शामिल किया जाएगा (ii) संस्थान द्वारा एक कलेंडर वर्ष में सितंबर से फरवरी माह की अवधि में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं हेतु, प्रश्नपत्र में, केवल 30 जून तक विनियामक(कों) द्वारा जारी दिशानिर्देशों एवं बैंकिंग व वित्त जगत में महत्वपूर्ण घटनाओं को शामिल किया जाएगा।

बाजार की खबरें

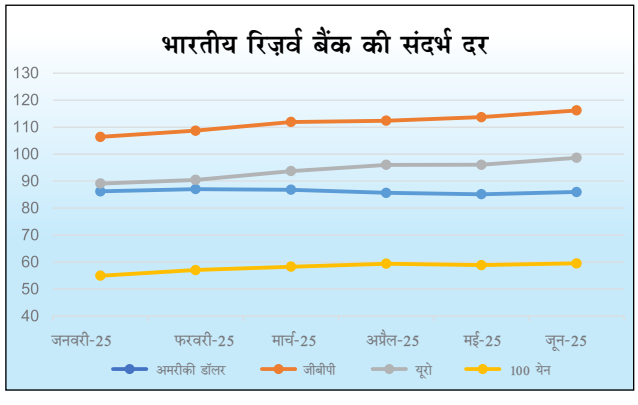

स्रोत: एफबीआईएल

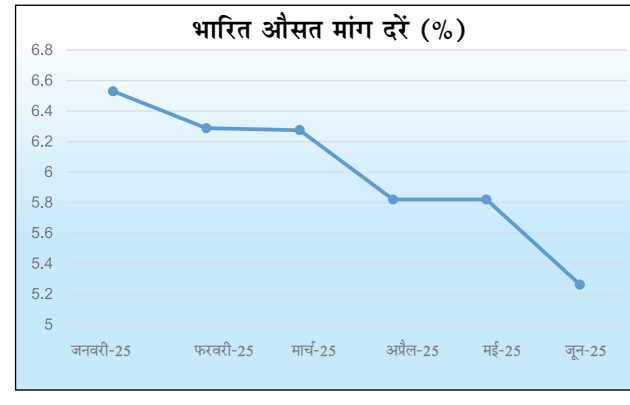

स्रोत: भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड का साप्ताहिक न्यूजलेटर

• Registered with Registrar of Newspapers Under RNI No. : 69228/1998

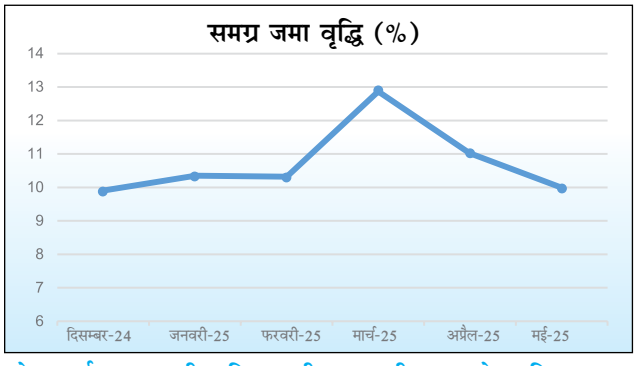

स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, जून 2025

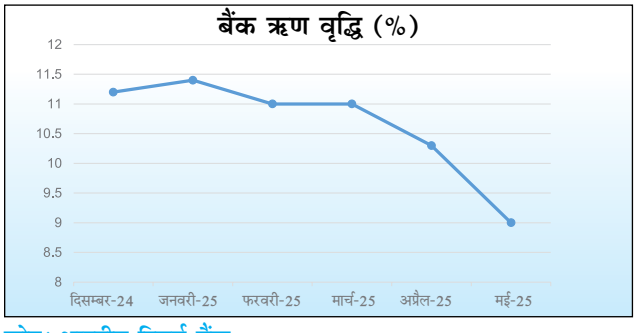

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

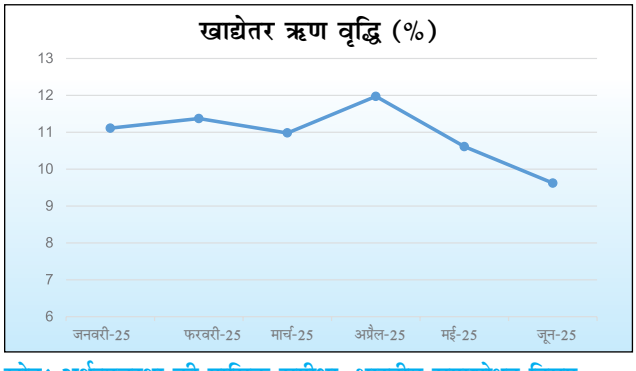

स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, जून 2025

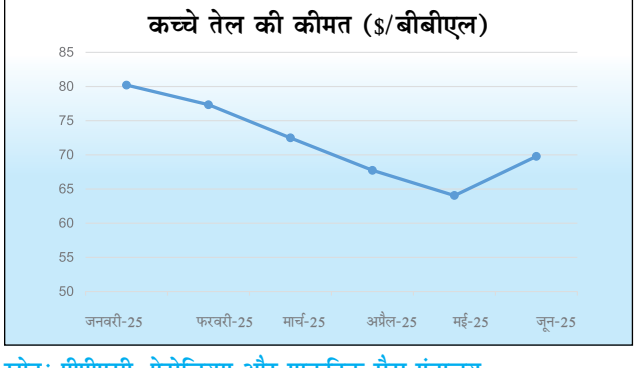

स्रोत: पीपीएसी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

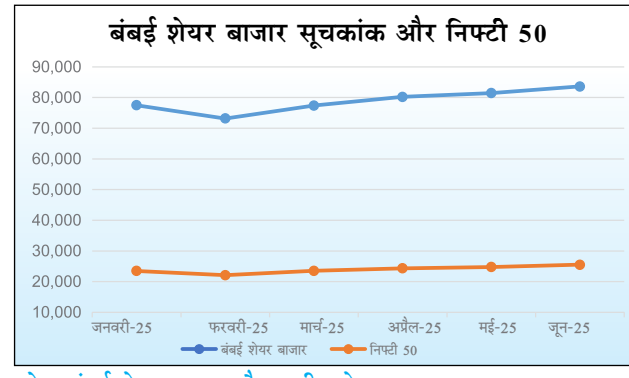

स्रोत: बंबई शेयर बाजार और राष्ट्रीय शेयर बाजार

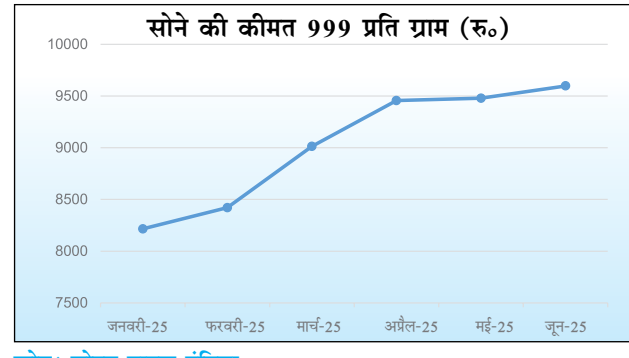

स्रोत: गोल्ड प्राइस इंडिया

नयी पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान को दिया गया अपना ई–मेल पता अद्यतन करा लें तथा वार्षिक प्रतिवेदन ई–मेल से पाने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

Printed by Biswa Ketan Das, **Published by** Biswa Ketan Das, on behalf of Indian Institute of Banking & Finance, and **printed at** Onlooker Press 16, Sasoon Dock, Colaba, Mumbai - 400 005 and **published** at Indian Institute of Banking & Finance, Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.
Editor : Biswa Ketan Das

INDIAN INSTITUTE OF BANKING & FINANCE
Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.
Tel. : 91-22-6850 7000
E-mail : admin@iibf.org.in
Website : www.iibf.org.in